

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

केन्द्रीय लोक उद्यमों में समान कार्य के लिए समान वेतन

Posted On: 09 AUG 2017 8:19PM by PIB Delhi

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री बाबूल सुप्रियो ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी कि मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले विभिन्न लोक उद्यम अपने स्तर पर विभिन्न कानूनी प्रावधानों/न्यायालय के आदेशों तथा वेतन से संबंधित मामलों सहित सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें। हालांकि उपरोक्त कानूनी प्रावधानों/न्यायालय के आदेशों तथा वेतन से संबंधित मामलों सहित सरकारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी लोक उद्यम बोर्ड तथा संबंधित मामलों सहित सरकारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी लोक उद्यम बोर्ड तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग पर है। ऐसी स्थिति में लोक उद्यम विभाग के पास संविदा कर्मचारी तथा अस्थायी कर्मचारी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के आदेश समान कार्य के लिए समान वेतन के क्रियान्वयन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वीके/जेके/वाईबी-3331

(Release ID: 1499073) Visitor Counter: 11









in